



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 24, 2017/कार्तिक 2, 1939

No. 415]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017/KARTIKA 2, 1939

भारतीय उपचर्या परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2016

नर्सिंग कॉलेजों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित भारतीय उपचर्या परिषद् के विनियम, 2016

सं. 11-1/2016-आई.एन.सी.-भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947/XLVIII) की धारा 10 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए और माननीय उच्चतम न्यायालय के “केरल विश्वविद्यालय बनाम परिषद्, प्रधानाचार्य, कॉलेज तथा अन्य”, एस. एल.पी. संख्या 24295, 2006 के दिनांक 16.05.2007 तथा दिनांक 08.05.2009, सिविल अपील संख्या 887, 2009 से प्राप्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भारतीय उपचर्या परिषद्, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, रैगिंग अभिशाप के निषेध, उसे रोकने और दूर करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

## 1. शीर्षक, प्रारम्भ और प्रयोज्यता

- (1) ये विनियम “नर्सिंग कॉलेजों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित भारतीय उपचर्या परिषद् के विनियम, 2016” कहे जाएंगे।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- (3) ये विनियम भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 के प्रावधानों और देश में नर्सिंग शिक्षा प्रदान करने के लिए इसके तहत समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों के अनुसार स्थापित सभी नर्सिंग संस्थानों पर लागू होंगे और इनका आच्छादन सभी परिसरों चाहे वे शैक्षिक, आवासीय, क्रीणा स्थल, जलपान गृह आदि हों; चाहे वे नर्सिंग संस्थान परिसर के भीतर हों अथवा बाहर; तथा सभी प्रकार के परिवहन चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी जिनका उपयोग छात्र/छात्राओं द्वारा इन नर्सिंग संस्थानों में नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, पर होगा।

भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 में जो कुछ भी निहित है, और समय-समय पर संशोधित किए गए सभी नियमों के तहत ऐसे कॉलेजों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले नर्सिंग छात्र/छात्राओं को नर्सिंग शिक्षा प्रदान करने हेतु उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए नर्सिंग कॉलेजों के प्रबन्धन/संस्थाध्यक्ष का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी कि नर्सिंग कॉलेजों में किसी भी प्रकार की रैगिंग को रोकने/प्रतिबन्धित करने/नियन्त्रित करने के सभी आवश्यक कदम उठाए जाएँ ताकि छात्र/छात्राओं को विस्तृत नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं इसके विभिन्न मापदण्डों और नर्सिंग शिक्षा की अवधारणाओं को शान्तिपूर्ण और स्थिर माहौल में पढ़ने का अवसर मिल सके क्योंकि नर्सिंग शिक्षा के लिए अत्यधिक पढ़ाई की आवश्यकता होती है।

## 2. उद्देश्य

किसी छात्र/छात्रा अथवा छात्रों/छात्राओं के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना, किसी नए छात्र/छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र/छात्रा में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी छात्र/छात्रा से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य कराना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो, घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी छात्र/छात्रा का वरिष्ठ होने के कारण शोषण करना। अतः देश के सभी नर्सिंग संस्थानों में इन विनियमों के अन्तर्गत रैगिंग रोकना और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को इन विनियमों तथा विधि के अनुसार दण्डित करना।

## 3. रैगिंग कैसे होती है

निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आते हैं —

- क) किसी छात्र/छात्रा अथवा छात्रों/छात्राओं द्वारा नए आने वाले छात्र/छात्रा का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
- ख) छात्र/छात्रा अथवा छात्रों/छात्राओं द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र/छात्रा को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक, अथवा मानसिक पीड़ा हो।
- ग) किसी छात्र/छात्रा से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र/छात्रा में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
- घ) वरिष्ठ छात्र/छात्रा द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो नए अथवा किसी अन्य छात्र/छात्रा के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।
- ङ) नए अथवा किसी अन्य छात्र/छात्रा का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
- च) नए छात्र/छात्रा का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
- छ) शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
- ज) मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, किसी को सरेआम अपमानित करना, किसी को कुमार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र/छात्रा को घबराहट हो।
- झ) कोई भी ऐसा कार्य जिससे नए छात्र/छात्रा के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े।
- ञ) रंग, वंश, धर्म, जाति, नस्ल, लिंग (हिजड़ों सहित), यौन अभिविन्यास, रूप, राष्ट्रियता, क्षेत्रीय आधार, भाषाई पहचान, जन्म स्थान, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर नए अथवा किसी अन्य छात्र/छात्रा पर शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार (धमकाने और बहिष्कार सहित) का कोई भी लक्षित कार्य।

किसी नए अथवा किसी अन्य छात्र/छात्रा को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता, अधिकार अथवा श्रेष्ठता दिखाना।

## 4. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में जब तक कि कोई अन्य सन्दर्भ न हो :-

- क) “अधिनियम” का तात्पर्य भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947/XLVIII) है।
- ख) “शैक्षिक वर्ष” का तात्पर्य किसी नर्सिंग संस्था में किसी छात्र/छात्रा का किसी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।
- ग) “रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन” का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के तहत बने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम, 2009 के तहत गठित हैल्पलाईन है।
- घ) “केन्द्रीय परिषद्” का तात्पर्य भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय उपचर्या परिषद् है।
- ङ) “संस्थाध्यक्ष” का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलपति; किसी संस्था/कॉलेज के प्रधानाध्यापक, निदेशक, संस्थाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष अथवा सम्बन्धित संस्था का किसी अन्य पदनाम का कार्यपालक प्राधिकारी है।

- च) “नए” से तात्पर्य वह छात्र/छात्रा है जिसका प्रवेश किसी संस्था में हो गया है तथा उस संस्था में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।
- छ) “संस्था” का तात्पर्य वह नर्सिंग संस्थान है जिसकी स्थापना भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 के प्रावधानों और देश में नर्सिंग शिक्षा प्रदान करने के लिए इसके तहत समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों के तहत की गई हो।
- ज) “विश्वविद्यालय” का तात्पर्य ऐसे सभी विश्वविद्यालयों से है जिनकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956/3) की धारा 3 के तहत की गई हो। और इसमें ऐसे अन्य संस्थान भी शामिल हैं, जो केन्द्र सरकार द्वारा किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थापित किए गए हैं, और ऐसे नर्सिंग परीक्षा प्राधिकरण जो भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत नर्सिंग परीक्षा आयोजित कर रहे हों।
- झ) “परीक्षा प्राधिकरण” का तात्पर्य ऐसे नर्सिंग परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरणों से है जो भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत नर्सिंग परीक्षा आयोजित कर रहे हों।

(2) जिन शब्दों एवं अभिव्यक्तियों को यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम अथवा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में स्पष्ट किए गए हैं, उनका वही अर्थ होगा जो उनमें दिया गया है अथवा साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में दिया गया है, जैसा कि सम्बन्धित मामला हो।

## 5. संस्थागत स्तर पर रैगिंग निषेध के उपाय

- क) कोई भी संस्था अथवा उसका कोई भाग, उसके मौलिक भागों सहित जो केवल विभागों तक सीमित नहीं हैं, उसकी सभी ईकाईयों, कॉलेजों, शिक्षण केन्द्रों, उसकी सभी अचल सम्पत्ति चाहे वे शैक्षिक, आवासीय, क्रीणा स्थल अथवा जलपान गृह आदि हों; चाहे वे संस्थान परिसर के भीतर हों अथवा बाहर; समी प्रकार के परिवहन चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी जिनका उपयोग छात्र/ छात्राओं द्वारा नर्सिंग संस्थान में नर्सिंग शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, सभी में रैगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपाय करेंगे। रिपोर्ट होने पर रैगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।
- ख) सभी संस्थान रैगिंग के प्रचार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियमों के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

## 6. संस्थागत स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय

### 6.1 छात्र/छात्राओं के प्रवेश/पंजीकरण के सन्दर्भ में प्रत्येक संस्था द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएँ:-

- क) संस्था द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक, दृश्य-श्रव्य अथवा प्रिन्ट मीडिया द्वारा छात्र/ छात्रा को प्रवेश सम्बन्धी घोषणा में यह बताया जाए कि संस्था में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षडयन्त्र में दोषी पाया गया तो उसे इन विनियमों तथा देश के कानून के अनुसार दण्डित किया जाएगा।
- ख) प्रवेश पुस्तिका/निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पुस्तिका चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक हो अथवा मुद्रित उनमें ये विनियम विस्तार से छापे जाएँ।

बशर्ते कि संस्था द्वारा प्रवेश पुस्तिका/निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पुस्तिका मुद्रित करते समय रैगिंग से सम्बन्धित कोई अन्य कानून जो कि संस्था पर लागू होते हों और उनके परिणाम, पर भी ध्यानाकर्षण किया जाए।

बशर्ते कि रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन, संस्था के सभी मुख्य अधिकारियों – जिसमें संस्थाध्यक्ष, शिक्षण संकाय सदस्य, रैगिंग विरोधी समिति के सदस्य, रैगिंग विरोधी दस्तों के सदस्य, जिलाधिकारी, उपमण्डल अधिकारी, छात्रावास वार्डन तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी शामिल हैं – के दूरभाष नम्बर प्रवेश पुस्तिका/ निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पुस्तिका में विस्तार से छापे जाएँ।

- ग) जहाँ कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण से सम्बद्धित है और प्रवेश पुस्तिका/निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पुस्तिका संस्थान द्वारा मुद्रित की जाती है, वहाँ सम्बद्ध करने वाले विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान द्वारा इन विनियमों के विनियम 6.1 के उपनियम (क) और उपनियम (ख) का अनुपालन किया जाए।
- घ) प्रवेश, नामांकन अथवा पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र में एक शपथ-पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी/अभ्यर्थी की ज्ञात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियमों के **संलग्नक-1, पार्ट-1** के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उसने इन विनियमों अथवा किसी अन्य अधिनियमों (जो भी प्रभावी हैं) के नियमों को पढ़ लिया है तथा इन विनियमों के नियमों तथा अन्य विनियमों के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा वह रैगिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दण्ड को जानता/जानती है। वह यह घोषणा करता/ करती है कि उसे

किसी संस्था द्वारा निष्कासित नहीं किया गया/गई है और न ही निकाला गया/गई है। साथ ही वह रैगिंग सम्बन्धी किसी गतिविधि में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त नहीं होगा/होगी और यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियमों तथा विधि के अनुसार दण्डित किया जाएगा और वह दण्ड केवल निष्कासन तक सीमिति नहीं होगा।

- ड) प्रवेश, नामांकन अथवा पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र में एक शपथ-पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी/अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की ज्ञात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियमों के संलग्नक-1, पार्ट-2 के अनुसार अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उसने इन विनियमों अथवा किसी अन्य अधिनियमों (जो भी प्रभावी हैं) के नियमों को पढ़ लिया है तथा इन विनियमों के नियमों तथा अन्य विनियमों के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा वह रैगिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दण्ड को जानता/जानती है। वे यह घोषणा करते हैं कि उनके वार्ड को किसी संस्था द्वारा निष्कासित नहीं किया गया/गई है और न ही निकाला गया/गई है। साथ ही उनका वार्ड रैगिंग सम्बन्धी किसी गतिविधि में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त नहीं होगा/होगी और यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियमों तथा विधि के अनुसार दण्डित किया जाएगा और वह दण्ड केवल निष्कासन तक सीमिति नहीं होगा।
- च) प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ पिछले विद्यालय/संस्थान (जिसमें भी छात्र/छात्रा द्वारा अभी तक की अन्तिम पढ़ाई की गई हो) द्वारा जारी विद्यालय/संस्था छोड़ने का प्रमाण-पत्र/स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/प्रवासन प्रमाण-पत्र/चरित्र प्रमाण-पत्र हो जिसमें छात्र/छात्रा के व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार की जानकारी दी गई हो ताकि ऐसे छात्र/छात्रा जिसके व्यवहार पर कोई टिप्पणी की गई हो और उसका प्रवेश हो जाता है तो संस्था इसके बाद उस पर निगरानी रख सके।
- छ) संस्था के अथवा संस्था द्वारा व्यवस्थित छात्रावास अथवा संस्था के बाहर किसी भी निजी व्यावसायिक लॉज या छात्रावास हेतु प्रार्थना करने वाले छात्र/छात्रा को प्रार्थना पत्र के साथ अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्नक-1, पार्ट-1 एवं संलग्नक-1, पार्ट-2 के रूप में देने होंगे जिन पर उसके माता-पिता/अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।
- ज) किसी भी संस्था में शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्थाध्यक्ष विभिन्न अधिकारियों/प्रतिनिधियों जैसे छात्रावास वार्डन, छात्र/छात्रा प्रतिनिधि, छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावक, शिक्षण संकाय, जिला प्रशासन, पुलिस आदि की संस्था में रैगिंग रोकने के उपायों और उसमें संलिप्त होने वालों/रैगिंग के लिए उकसाने वालों को चिन्हित कर दण्डित करने पर विचार-विमर्श हेतु बैठक आयोजित कर उन्हें सम्बोधित करें।
- झ) समुदाय को और विशेष रूप से छात्र/छात्राओं को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव के सन्दर्भ में जागृत करने हेतु तथा उसके प्रति अपने रवैये से अवगत कराने हेतु संस्था द्वारा रैगिंग निषेध सम्बन्धित नियम, अन्य नियम, कानून तथा दण्डों की जानकारी प्रदर्शित करने वाले बड़े-बड़े पोस्टर छात्रावासों, विभागों तथा अन्य भवनों के सूचना पट्टों पर लगाए जाएँ। उनमें से कुछ पोस्टर ऐसे स्थानों पर विशेष रूप से लगाए जाएँ जहाँ पर छात्र/छात्रा अधिकतर एकत्रित होते हैं और जहाँ रैगिंग की घटना होने की अधिक आशंका हो।
- ञ) संस्था मीडिया से यह अनुरोध करे कि वह रैगिंग रोकने के नियमों और उसके दृष्टभावों का प्रचार-प्रसार करे। संस्था के रैगिंग रोकने के संकल्प और उसमें लिप्त पाए जाने पर बिना भेद-भाव एवं भय के दण्डित करने के नियमों का भी प्रचार करे।
- ट) संस्था द्वारा असुरक्षित स्थानों जहाँ पर रैगिंग की घटना होने की अधिक आशंका हो को चिन्हित करके वहाँ प्रकाश की व्यवस्था बढ़ाई जाए और वहाँ पर निगरानी रखी जाए।
- ठ) संस्था द्वारा परिसर में बेवक्त समयों पर तथा शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए तथा रैगिंग की घटना होने की अधिक आशंका होने वाले स्थानों पर निगरानी रखी जाए। पुलिस, रैगिंग विरोधी दल तथा स्वयं सेवी व्यक्तियों (यदि कोई हों) से इसमें सहायता ली जाए।
- ड) संस्था नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व अवकाश के समय में रैगिंग निषेध सम्बन्धी विनियमों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते संगोष्ठी, पोस्टर, पत्रिका, नुक्कड़ नाटक आदि द्वारा प्रचार करे।
- ढ) संस्था के विभिन्न तन्त्र संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्र/छात्राओं की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर निवारण करे तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग निषेध सम्बन्धी विनियमों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् प्रबन्ध करे।
- ण) प्रत्येक संस्था शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसे व्यावसायिक परामर्शदाताओं की सेवा अथवा सहायता ले जो शैक्षिक वर्ष प्रारम्भ होने के बाद जब भी संस्था आवश्यक समझे, नए तथा अन्य छात्र/छात्राओं को परामर्श देने के लिए उपलब्ध रहें।
- त) संस्थाध्यक्ष स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों को छात्र/छात्राओं द्वारा निवास हेतु प्रयोग किए जा रहे निजी व्यावसायिक लॉज या छात्रावास के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दें। संस्थाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि रैगिंग विरोधी दल ऐसे स्थानों पर रैगिंग रोकने हेतु निगरानी रखें।

## 6.2 छात्र/छात्राओं के प्रवेश, नामांकन/पंजीकरण होने पर प्रत्येक संस्था द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाएँ :-

- क) संस्था में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र/छात्रा को एक मुद्रित लीफलेट दिया जाए जिसमें बताया गया हो कि उसे विभिन्न कार्यों में सहायता एवं मार्गदर्शन हेतु किससे सम्पर्क करना है। इसमें विभिन्न अधिकारियों अर्थात् इन विनियमों में सन्दर्भित रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन, वार्डन, संस्थाध्यक्ष तथा रैगिंग विरोधी समिति तथा दल के सदस्यों

तथा सम्बन्धित जिला तथा पुलिस अधिकारियों के पते और दूरभाष संख्या विशेष रूप से दिए जाएँ ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र/छात्रा किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति से तुरन्त सम्पर्क कर सकें।

- ख) संस्था इन विनियमों के विनियम 6.2 उपनियम (क) में निर्देशित नए छात्र/ छात्राओं को दिए जाने वाले लीफलेट द्वारा उनके प्रवर्तन और अभिविन्यास हेतु की गई व्यवस्था के बारे में स्पष्ट करे तथा उन्हें संस्था में पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अन्य छात्र/छात्राओं से भलीभाँति परिचित कराने का प्रबन्ध करे।
- ग) इन विनियमों के विनियम 6.2 उपनियम (क) में निर्देशित लीफलेट द्वारा नए छात्र/छात्राओं को संस्था के प्रामाणिक छात्र/छात्रा के रूप में उनके अधिकार भी बताए जाएँ। और उन्हें यह भी बताया जाए कि वे अपनी इच्छा के बिना किसी का कोई कार्य न करें चाहे उनके लिए उनके वरिष्ठ छात्र/छात्राओं ने कहा हो तथा रैगिंग के प्रयास की सूचना तुरन्त रैगिंग विरोधी दल, वार्डन अथवा संस्थाध्यक्ष को दें।
- घ) इन विनियमों के विनियम 6.2 उपनियम (क) में निर्देशित लीफलेट में संस्था में मनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की तिथि दी हो ताकि नए छात्र/छात्रा संस्था के शैक्षिक परिवेश एवं वातावरण से परिचित हो सकें।
- ङ) वरिष्ठ छात्र/छात्राओं के आने पर संस्थान प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के बाद जैसा भी उचित हो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करें, जैसे कि (i) इन विनियमों के विनियम 6.1 के उपनियम (ण) के अनुसार नए और पुराने छात्र/ छात्राओं के अभिविन्यास के लिए व्यावसायिक परामर्शदाता द्वारा संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम; (ii) नए और पुराने छात्र/छात्राओं के संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम को संस्थाध्यक्ष तथा रैगिंग विरोध समिति सम्बोधित करे; (iii) संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नए और पुराने छात्र/छात्राओं के परिचय हेतु अधिकाधिक सांस्कृतिक, खेल तथा अन्य प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जाएँ; (iv) छात्रावास में वार्डन सभी छात्र/छात्राओं को सम्बोधित करें तथा अपने दो (2) कनिष्ठ सहयोगियों से कुछ समय तक सहयोग देने हेतु निवेदन करें; (v) जहाँ तक सम्भव हो संकाय-सदस्य छात्रावास में रहने वाले छात्र/ छात्राओं के साथ ही भोजन भी करें ताकि नए छात्र/छात्राओं में आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न हो।
- च) संस्था समुचित समितियों का गठन करे। पाठ्यक्रम प्रभारी, वार्डन तथा कुछ वरिष्ठ छात्र/छात्रा इन समितियों के सदस्य हों। यह समिति नए और पुराने छात्र/छात्राओं के बीच सुदृढ़ सम्बन्ध बनाने में सहयोग करे।
- छ) नए अथवा अन्य छात्र/छात्रा चाहे वे रैगिंग के भोगी हों अथवा रैगिंग होते हुए उन्होंने दोषी को देखा हो उन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु उत्साहित किया जाए तथा उनकी पहचान गोपनीय रखी जाए ताकि ऐसी घटनाओं की सूचना देने वालों को किसी भावी दुष्परिणाम से बचाया जा सके।
- ज) संस्था में आने पर नए छात्र/छात्राओं के प्रत्येक बैच को छोटे-छोटे वर्गों में बाँट दिया जाए और ऐसा प्रत्येक वर्ग किसी एक संकाय सदस्य को दे दिया जाए जो स्वयं वर्ग के सभी सदस्यों से प्रतिदिन मिले और यह देखे कि नए छात्र/छात्राओं को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, और यदि हो तो उसका समाधान करने में उचित सहायता करे।
- झ) इस प्रकार के संकाय सदस्य का यह दायित्व होगा कि वार्डनों को सहयोग दे तथा छात्रावास जहाँ उसके अधीनस्थ नए छात्र/छात्रा रह रहे हैं, का औचक निरीक्षण करता रहे। और संकाय सदस्य अपने अधीनस्थ छात्र/छात्राओं के साथ मिलने की डायरी बनाए।
- ञ) नए छात्र/छात्राओं को अलग छात्रावास में रखा जाए और जहाँ इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध न हों वहाँ संस्था यह सुनिश्चित करे कि नए छात्र/छात्राओं को दिए गए निवास स्थानों पर वार्डन, सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी कड़ी निगरानी रखें।
- ट) संस्था छात्रावास परिसर में रैगिंग रोकने के लिए 24 घंटे कड़ी निगरानी रखने का प्रबन्ध करे, जिससे कि कक्षाओं के बाद छात्रावास परिसर में रैगिंग की घटना घटित न हो सके।
- ठ) नए छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि रैगिंग से सम्बन्धित सूचना तुरन्त संस्थाध्यक्ष को प्रदान करें।
- ड) प्रत्येक छात्र/छात्रा जो संस्था में पढ़ रहा हो और उसके माता-पिता/ अभिभावक इन विनियमों के विनियम 6.1 उपनियम (घ) (ड) और (छ) में निर्देशित शपथ पत्र प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में प्रवेश/पंजीकरण के समय दें, जैसा भी लागू हो।
- ढ) प्रत्येक संस्था विनियम 6.2 उपनियम (ड) के सन्दर्भ अनुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा से शपथ पत्र ले और उनका उचित रिकॉर्ड रखे। प्रतिलिपियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी सुरक्षित रखें ताकि जब आवश्यकता हो किसी परिषद् अथवा संस्था अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति अथवा संघटन द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सके।
- ण) प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने पंजीकरण के समय संस्था को अपनी पढ़ाई करते समय निवास स्थान की सूचना दे। यदि उसका निवास स्थान तय नहीं हुआ है या वह अपना निवास स्थान बदलना चाहता/चाहती है तो उसका

निश्चय होते ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए और विशेष रूप से निजी व्यावसायिक लॉज या छात्रावास की, जहाँ वह रह रहा/रही है।

- त) संस्था विनियम 6.2 उपनियम (ण) के सन्दर्भ अनुसार छात्र/छात्रा द्वारा दिए गए शपथ पत्रों के आधार पर उचित आंकड़े बनाए और उनके सम्बन्धित संकाय सदस्य के साथ साझा करे जिससे कि वह उन पर निगरानी रख सके और परिसर के बाहर अथवा संस्था आने या जाने में, अथवा किसी भी सरकारी या निजी परिवहन सेवा में यदि कोई रैगिंग हो तो उसकी सूचना दे सके।
- थ) प्रत्येक शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर संस्थाध्यक्ष प्रथम वर्ष पूर्ण करने वाले छात्र/छात्राओं के माता-पिता/अभिभावकों को रैगिंग से सम्बन्धित विधि और जानकारी से सम्बन्धित पत्र भेजें तथा उनसे अनुरोध करें कि नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में वापस आने पर उनके वार्ड रैगिंग से सम्बन्धित किसी गतिविधि में भाग न लें।
- द) नर्सिंग कॉलेजों के संस्थाध्यक्ष अपने कॉलेजों में रैगिंग निषेध और रैगिंग रोकने के लिए किए गए उपायों की जानकारी अपने-अपने राज्य उपचर्या परिषदों को इन विनियमों के **संलग्नक-2** में दिए गए प्रोफोर्मा में पूरी तरह भर कर भेजें।

### 6.3 प्रत्येक संस्था द्वारा निम्नलिखित समितियों का गठन किया जाए :-

- क) प्रत्येक संस्था एक समिति बनाए जिसे रैगिंग विरोधी समिति (एँटी रैगिंग कमेटी) कहा जाए। समिति की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करें। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि, स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधि, युवा गतिविधियों से जुड़े गैर-सरकारी संघटनों के प्रतिनिधि, संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि, माता-पिता/अभिभावकों के प्रतिनिधि, नए तथा पुराने छात्र/छात्राओं के प्रतिनिधि, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि विभिन्न स्तर और लिंग (स्त्री पुरुष दोनों) के आधार पर इस समिति में शामिल हों।
- ख) रैगिंग विरोधी समिति का कर्तव्य होगा कि वह इन विनियमों के प्रावधानों तथा रैगिंग से सम्बन्धित कानून का अनुपालन कराए तथा रैगिंग विरोधी दल के रैगिंग रोकने सम्बन्धी कार्यों को भी देखें।
- ग) प्रत्येक संस्था एक छोटी समिति का भी गठन करे जिसे रैगिंग विरोधी दल (एँटी रैगिंग रकवैड) नाम से जाना जाए। इसे भी संस्थाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए। यह समिति निगरानी रखे तथा हर समय पैटरॉलिंग और गतिशील बनी रहने हेतु तत्पर रहे। रैगिंग विरोधी दल में परिसर के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिसर से बाहर के व्यक्ति नहीं होंगे।
- घ) रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थानों का औचक निरीक्षण करें और उन्हें ऐसा करने का अधिकार भी होगा।
- ङ) रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र/छात्रा अथवा किसी माता-पिता/अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जाकर करे तथा जाँच की रिपोर्ट संस्तुति सहित रैगिंग विरोधी समिति को विनियम 8.1 के अनुसार कार्यवाही हेतु सौंपे।
- बशर्त कि रैगिंग विरोधी दल इस प्रकार की जाँच निषेध एवं पारदर्शी तरीके से करे तथा सामान्य न्याय के नियमों का पालन करते हुए छात्र/छात्राओं तथा गवाहों को रैगिंग से सम्बन्धित तथ्य एवं प्रमाण प्रस्तुत करने और उनके विचार आदि रखने का पूरा अवसर दे और अन्य सूचना जो भी चाहिए उस पर पूरा ध्यान दे।
- च) प्रत्येक संस्था शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु स्वेच्छिक छात्र/छात्राओं की एक परामर्श प्रकोष्ठ (मेंटरिंग सेल) बनाए जो आने वाले वर्षों में नए छात्र/छात्राओं को परामर्श दे सकें। संस्थान के बच्चों के आकार के अनुसार परामर्शदाताओं के कई स्तर हो सकते हैं जैसे हर छः नए छात्र/छात्राओं पर एक परामर्शदाता होना चाहिए, और हर छः परामर्शदाताओं पर एक उच्च स्तरीय परामर्शदाता होना चाहिए।
- छ) प्रत्येक विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण, एक समिति का गठन करे जिसे रैगिंग के मॉनिटरिंग सेल के रूप में जाना जाए, जो उस संस्था अथवा विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण से सम्बद्ध कॉलेजों एवं संस्थानों में इन विनियमों के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सहयोग दे। मॉनिटरिंग सेल संस्थाध्यक्षों से रैगिंग विरोधी समिति, रैगिंग विरोधी दल और परामर्श प्रकोष्ठ की गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है।
- ज) मॉनिटरिंग सेल; संस्था द्वारा किए जा रहे रैगिंग विरोधी उपायों का भी मूल्यांकन करेगी। माता-पिता/अभिभावकों और छात्र/छात्राओं द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र तथा रैगिंग के नियम तोड़ने पर दण्डित किए जाने हेतु उनकी सहमति की भी जाँच करेगी। यह संस्था के स्तर पर रैगिंग विरोधी उपायों के क्रियान्वयन की सुविधा के लिए विश्वविद्यालयों के उपयुक्त अधिकारियों के लिए कानूनों या अध्यादेशों या उपनियमों में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रमुख प्रस्तावक के रूप में कार्य करेगी।

### 6.4 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित अन्य उपाय भी करे :-

- क) संस्था के प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र/छात्रा रहते हैं में पूर्णकालिक वार्डन हों जिसकी नियुक्ति संस्था द्वारा अर्हता के नियमानुसार की जाए जो अनुशासन बनाए रखे तथा छात्रावास में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही युवाओं से कक्षा के बाहर कार्टसलिंग करे और सम्बन्ध बनाए रखे। वह छात्रावास में रहे या छात्रावास के अत्यन्त निकट रहे।

- ख) वार्डन हर समय उपलब्ध हो। जिसके साथ दूरभाष तथा संचार के अन्य साधनों से हर समय सम्पर्क किया जा सके। वार्डन को संस्था द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाए जिसके नम्बर की जानकारी छात्रावास में रह रहे सभी छात्र/छात्राओं को हो।
- ग) संस्था द्वारा वार्डन के अधिकार बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है और बढ़ाये जा सकते हैं। छात्रावास में नियुक्त सुरक्षाकर्मी सीधे वार्डन के नियन्त्रण में हों तथा वार्डन द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाए।
- घ) इन विनियमों के विनियम 6.1 उपनियम (ण) के अनुसार प्रवेश के समय व्यावसायिक परामर्शदाता रखे जाएँ जो नए और अन्य छात्र/छात्राओं जो अपने आने वाले जीवन की तैयारी हेतु विशेष रूप से छात्रावास में रहने से सम्बन्धित काउंसिलिंग चाहते हों उनकी काउंसिलिंग करें। जहाँ तक हो सके, ऐसे काउंसिलिंग सत्रों से माता-पिता तथा शिक्षकों को भी जोड़ा जाए।
- ङ) संस्था काउंसिलिंग सत्र, कार्यशाला, पेंटिंग तथा अन्य तरीकों जो भी उचित हों द्वारा रैगिंग विरोधी उपायों का छात्र/छात्राओं में व्यापक प्रचार प्रसार करे।
- च) किसी भी छात्र/छात्रा या अन्य कोई व्यक्ति द्वारा रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन से बात करने में सक्षम करने के लिए, प्रत्येक संस्था मोबाइल फोन और हॉस्टल और अध्ययन कक्ष, सेमिनार हॉल, पुस्तकालय आदि, जहाँ संस्थान दूरभाष के उपयोग को प्रतिबन्धित करना आवश्यक समझे को छोड़कर, परिसर के अन्य स्थानों पर सार्वजनिक फोन पर असीमित पहुँच का प्रबन्ध करेगी।
- छ) संस्था के संकाय सदस्य, उसके शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जो केवल प्रशासनिक पद तक सीमित नहीं हैं, सुरक्षाकर्मी तथा संस्था के अन्दर सेवारत कर्मचारियों को रैगिंग तथा उसके दुष्परिणाम के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।
- ज) संस्था द्वारा शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर प्रत्येक कर्मचारी से, संविदा पर रखे गए प्रत्येक श्रमिक से चाहे वे कैंटीन के कर्मचारी हों अथवा सुरक्षा गार्ड हों या सफाई वाले कर्मचारी हों अथवा सेवा प्रदाता के कर्मचारी हों, सबसे एक अनुबन्ध ले कि वे अपनी जानकारी में आने वाली रैगिंग की घटना की जानकारी तुरन्त सक्षम अधिकारियों को देंगे।
- झ) संस्था द्वारा सेवा कार्य की नियमावली में रैगिंग की सूचना देने वाले कर्मचारियों को अनुशंसा पत्र देने का नियम बनाए जाएँ तथा उसे उनके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए।
- ञ) संस्था द्वारा कैंटीन और मैस के कर्मचारियों, चाहे वे संस्था के कर्मचारी हों अथवा निजी सेवा प्रदाता हों, को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखें तथा रैगिंग की कोई भी घटना होने पर उसकी जानकारी तुरन्त संस्थाध्यक्ष, रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।
- ट) शिक्षा की किसी भी स्तर की उपाधि देने वाले विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर लें कि उसके पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले सभी संस्थानों में रैगिंग विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए, मानव अधिकारों की रक्षा पर बल दिया जाए, विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में रैगिंग की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला जाए, और प्रत्येक शिक्षक को काउंसिलिंग की स्थिति से निबटने का ढंग आना चाहिए।
- ठ) संस्था के प्रथम वर्ष के नए छात्र/छात्राओं में यह देखने के लिए कि संस्था में रैगिंग तो नहीं हो रही है, हर पन्द्रह दिन में आकस्मिक निरीक्षण किए जाएँ। निरीक्षण की रूपरेखा संस्था स्वयं निश्चित करे।
- ड) संस्था द्वारा छात्र/छात्राओं को दिए जाने वाले विश्वविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा के सामान्य चरित्र और व्यवहार के अतिरिक्त यह भी दिया जाए कि क्या छात्र/छात्रा कभी रैगिंग सम्बन्धी अपराध में सलिप्त रहा/रही है। क्या छात्र/छात्रा द्वारा कोई हिंसक अथवा दूसरे को हानि पहुँचाने वाला अपराध किया गया है।
- ढ) इन विनियमों में विभिन्न अधिकारियों, सदस्यों तथा समितियों के ऊपर बताए गए कर्तव्य और उत्तरदायित्व सम्बन्धी अधिकारों के साथ ही सभी वर्गों के अधिकारियों, संकाय के सदस्यों तथा कर्मचारियों सहित चाहे वह स्थायी हों अथवा अस्थायी जो भी संस्था की सेवा कर रहा है उसका यह सामूहिक दायित्व होगा कि वह रैगिंग की घटनाओं को रोके।
- ण) विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण से सम्बद्ध संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य संस्था का अध्यक्ष सत्र के प्रारम्भिक तीन महीने तक रैगिंग के आदेश के अनुपालन तथा रैगिंग विरोधी उपायों की जानकारी से सम्बन्धित इन विनियमों के अधीन साप्ताहिक रिपोर्ट तथा उसके बाद मासिक रिपोर्ट उस विश्वविद्यालय के कुलपति/परीक्षा प्राधिकरण अथवा जिसके द्वारा उस संस्था का मान्यता दी गई है, उसे दें।

## 7. संस्थाध्यक्ष द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :-

- I. रैगिंग विरोधी दल अथवा इस सम्बन्ध में किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति के किसी सदस्य के माध्यम से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं:-

- II. रैगिंग हेतु उकसाना
- III. रैगिंग का आपराधिक षड्यन्त्र
- IV. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्रित होना तथा उत्पात करना
- V. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना
- VI. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना
- VII. शारीरिक चोट पहुँचाना
- VIII. गलत ढंग से रोकना
- IX. आपराधिक बल प्रयोग
- X. प्रहार करना, यौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध
- XI. बलात् ग्रहण
- XII. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना
- XIII. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध
- XIV. आपराधिक धमकी
- XV. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना
- XVI. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी के लिए अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना
- XVII. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना
- XVIII. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध

बशर्ते कि संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा परीक्षा प्राधिकरण को दें।

बशर्ते कि संस्था इन विनियमों के विनियम 8 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कार्यवाही पूरी कर ली जाए।

## 8. दण्ड :-

### 8.1 संस्थान के स्तर पर :-

संस्थान की रैगिंग विरोधी समिति द्वारा किसी छात्र/छात्रा को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर अपराध की प्रकृति और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा संस्थागत स्तर पर विधि अनुसार निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक दण्ड लगाये जा सकते हैं :-

- 8.1.1 कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारों से निलम्बन
- 8.1.2 छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/से वंचित करना
- 8.1.3 किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना
- 8.1.4 परीक्षाफल रोकना
- 8.1.5 किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता/सम्मेलन, खेल प्रतियोगिता, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना
- 8.1.6 छात्रावास से निष्कासित करना
- 8.1.7 प्रवेश रद्द करना
- 8.1.8 संस्था से चार (4) सत्रों तक के लिए निष्कासित करना
- 8.1.9 संस्था से निष्कासित और परिणामरुवरूप किसी भी संस्था से एक निश्चित अवधि तक निष्कासन करना
- 8.1.10 पच्चीस हजार रुपए (रु. 25,000/-) से एक लाख रुपए (रु. 1 लाख) तक का दण्ड लगाना

8.1.11 सामूहिक दण्ड: जब रैंगिंग करने अथवा रैंगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले सकती है।

## 8.2 सम्बन्धित संस्थान के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण के स्तर पर :-

यदि कोई संस्थान इनमें से किसी नियम अथवा विनियम के अनुपालन में असफल रहती है तथा रैंगिंग को प्रभावशाली ढंग से रोकने में असफल रहती है तो विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण उस पर निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक दण्ड लगा सकता है :-

- 8.2.1 सम्बद्धता/मान्यता या उसे दिए गए अन्य विशेष अधिकार वापस लेना
- 8.2.2 इस प्रकार की संस्था द्वारा विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण के चलाए जा रहे किसी शैक्षिक कार्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को डिग्री अथवा डिप्लोमा देने पर रोक लगाना
- 8.2.3 विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण द्वारा उसे दिए जा रहे अनुदान, यदि कोई हो, को वापस लेना
- 8.2.4 विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण के माध्यम से संस्था को दिए जा रहे किसी अनुदान को रोकना
- 8.2.5 विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाला कोई अन्य दण्ड

## 8.3 प्रबन्धन के स्तर पर :-

संस्था में विशेष रूप से संस्थान के प्रमुख अधिकारी/प्रबन्धन (ट्रस्ट, सोसाइटी, आदि), विशेषकर संस्थाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि संस्था में रैंगिंग की कोई घटना न हो। अगर रैंगिंग की कोई घटना होती है, तो प्रबन्धन/संस्थाध्यक्ष उस व्यक्ति/व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त और उपयुक्त कार्रवाई करेगा, जिसकी कर्तव्य की उपेक्षा की वजह से दुर्घटना घटित हुई है। संस्थाध्यक्ष नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा इसके फलरूप संस्थाध्यक्ष के खिलाफ तुरन्त और उचित कार्रवाई की जाएगी।

## 8.4 भारतीय उपचर्या परिषद् के स्तर पर :-

अगर कोई संस्थान रैंगिंग को रोकने में विफल रहता है, तो भारतीय उपचर्या परिषद् संस्था पर निम्नलिखित में से कोई एक या अनेक दण्ड लगा सकती है :-

- 8.4.1 भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत संस्था के खिलाफ मान्यता की वापसी के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू करना।
- 8.4.2 संस्थान की प्रवेश क्षमता को उस सीमा तक कम करने के लिए जो कि केन्द्रीय परिषद् के अनुसार उचित हो।
- 8.4.3 संस्थान में अग्रिम आदेश तक आगे प्रवेश पर रोक लगाना
- 8.4.4 मान्यता के नवीकरण पर रोक लगाना
- 8.4.5 सम्बन्धित संस्था से जुड़े सभी दण्डों की जानकारी आई.एन.सी. की वेबसाइट पर पोस्ट करना, जिससे कि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों/अधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके।

## 9. सम्बन्धित राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना :-

प्रत्येक संस्था अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) में अपने सम्बन्धित राज्य उपचर्या परिषद् के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी :-

- 9.1 प्रति वर्ष जिसमें प्रवेश किया जाता है, के 31 अक्टूबर तक, इन नियमों के विनियमन 6 के कार्यान्वयन के लिए संस्था द्वारा की गई कार्रवाई को इंगित करने में विफल संस्थान के खिलाफ विनियमन 8.4 में उल्लिखित कार्रवाई शुरू की जाएगी; तथा
- 9.2 पिछले सत्र से सम्बन्धित जानकारी प्रत्येक सत्र के 30 अप्रैल तक निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) के प्रत्येक कॉलम में आवश्यक जानकारी न देने वाले संस्थान के खिलाफ विनियमन 8.4 में उल्लिखित कार्रवाई को शुरू की जाएगी।

रनजीत कौर, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./280/17]

**सलग्नक-1, पार्ट-1****अभ्यर्थी/छात्र/छात्रा का घोषणा पत्र**

1. मैं, ..... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
..... ने रैगिंग निषेध के विधि तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने नर्सिंग संस्थानों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित भारतीय उपचर्या परिषद् के विनियम, 2016 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
3. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि  
मैं रैगिंग की परिभाषा के तहत आने वाले किसी भी व्यवहार या कार्य में शामिल नहीं होऊँगा/होऊँगी, मैं किसी भी रूप में रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी।  
मैं किसी को भी शारीरिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से चोट नहीं पहुँचाऊँगा/पहुँचाऊँगी अथवा किसी अन्य नुकसान का कारण नहीं बनूँगा/बनूँगी।
4. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मैं रैगिंग के किसी भी मामले में दोषी पाया गया/पायी गयी, तो मुझे ऊपर वर्णित भारतीय उपचर्या परिषद् के नियमों अथवा लागू कानून के अनुसार दण्डित किया जा सकता है।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मुझे किसी भी संस्था द्वारा प्रवेश से निष्कासित या बहिष्कृत नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ..... दिन ..... महीना ..... वर्ष .....

हस्ताक्षर

नाम: .....

पता: .....

.....

**सलग्नक-1, पार्ट-2****माता-पिता/अभिभावक का घोषणा पत्र**

1. मैं, ..... पिता/माता/अभिभावक .....  
....., ने रैगिंग निषेध के विधि तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों और नर्सिंग संस्थानों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित भारतीय उपचर्या परिषद् के विनियम, 2016 को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री/वार्ड रैगिंग सम्बन्धी किसी भी तरह के कार्य में लिप्त नहीं होगा/होगी।
3. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि वह रैगिंग के किसी भी मामले में दोषी पाया गया/पायी गयी, तो उसे ऊपर वर्णित भारतीय उपचर्या परिषद् के नियमों अथवा लागू कानून के अनुसार दण्डित किया जा सकता है।

हस्ताक्षर ..... दिन ..... महीना ..... वर्ष .....

हस्ताक्षर

नाम: .....

पता: .....

.....

**शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खिलाफ उपायों के सम्बन्ध में  
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की निगरानी के लिए प्रोफार्मा**

क्र.सं.	संस्थान का नाम, पूर्ण पता, तथा दूरभाष संख्या  कॉलेज कोड:		
	प्रधानाचार्य/डीन का नाम तथा उनका डायरेक्ट सम्पर्क नम्बर		
	<b>कार्यवाही</b>		
1.	क्या रैगिंग विरोधी दल बनाये गये थे ?	हाँ/नहीं	
2.	क्या रैगिंग विरोधी समिति बनाई गई थी ?	हाँ/नहीं	
3.	क्या विवरण पुस्तिका में रैगिंग के खिलाफ की जा सकने वाली कार्यवाहियाँ दी गई हैं?	सूक्ष्म विवरण दें। (विवरण पुस्तिका संलग्न करें)	
4.	क्या नए छात्र/छात्राओं को रैगिंग की परिस्थिति में किससे सम्पर्क करना है उन अधिकारियों के नाम, दूरभाष संख्या आदि उपलब्ध कराये गये हैं/उनका प्रचार किया गया है?	सूक्ष्म विवरण दें। (विवरण पुस्तिका संलग्न करें)	
5.	क्या छात्र/छात्राओं को छात्रावासों में दूरभाष सेवा (लैण्डलाइन एवं मोबाइल) का असीमित पहुँच का प्रबन्ध है, जिससे समय पर सूचना दी जा सके ?	सूक्ष्म विवरण दें। (विवरण पुस्तिका संलग्न करें)	
6.	क्या वरिष्ठ/पुराने छात्र/छात्राओं की काउंसिलिंग की गई है ?	सूक्ष्म विवरण दें। (विवरण पुस्तिका संलग्न करें)	
7.	क्या नए छात्र/छात्राओं की काउंसिलिंग की गई है ?	सूक्ष्म विवरण दें। (विवरण पुस्तिका संलग्न करें)	
8.	क्या नए छात्र/छात्राओं हेतु अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है ?	सूक्ष्म विवरण दें। (विवरण पुस्तिका संलग्न करें)	
9.	रैगिंग विरोधी दल	9(क) बनाने की तिथि 9(ख) सदस्यों के नाम तथा उनके सम्पर्क सूत्र 9(ग) छात्रों की संख्या 9(घ) छात्रों की आवृत्ति 9(ङ) औचक छापे 9(च) दल द्वारा लिए गए अन्य उपाय 9(छ) पाई गई घटनाओं की संख्या 9(ज) तत्त्वरूप की गई अनुवर्ती कार्यवाही	
10.	रैगिंग विरोधी समिति	10(क) बनाने की तिथि	

		10(ख) सदस्यों के नाम तथा उनके सम्पर्क सूत्र	
		10(ग) छापों की संख्या	
		10(घ) छापों की आवृत्ति	
		10(ङ) औचक छापे	
		10(च) समिति द्वारा लिए गए अन्य उपाय	
		10(छ) पाई गई घटनाओं की संख्या	
		10(ज) तत्स्वरूप की गई अनुवर्ती कार्यवाही	
11.	पूछताछ/जाँच की गई		
12.	दण्ड दिया गया	12(क) निलम्बन	
		12(ख) विनिष्कासन	
		12(ग) निष्कासन	
13.	संस्था द्वारा दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की संख्या (विवरण सहित)		
14.	क्या प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों से संलग्नक-1, पार्ट-1 के अनुसार भरा हुआ घोषणा पत्र लिया गया है ?	हाँ/नहीं	
15.	क्या प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों के माता-पिता/अभिभावकों से संलग्नक-1, पार्ट-2 के अनुसार भरा हुआ घोषणा पत्र लिया गया है ?	हाँ/नहीं	

### INDIAN NURSING COUNCIL

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2016

#### INDIAN NURSING COUNCIL REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN NURSING COLLEGES, 2016

**No. 11-1/2016-INC.**—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (No. XLVIII of 1947) and directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of "University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SLP No.24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 08.05.2009 in Civil Appeal Number 887 of 2009, to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging, Indian Nursing Council, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations:-

#### 1. Short title and commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Indian Nursing Council Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Nursing Colleges, 2016.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- (iii) They shall apply to all the Nursing Institutions established in accordance with the provisions of the Indian Nursing Council Act, 1947 and regulations framed thereunder as amended from time to time for the purpose of imparting Nursing education in the country and cover all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, other such premises of such Nursing Institutions whether

located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such Nursing Institutions.

Notwithstanding anything contained in the Indian Nursing Council Act, 1947 and any of the regulations made there under as amended from time to time, it shall be the duty and responsibility of Management/Head of Nursing Colleges to create a conducive atmosphere for imparting Nursing education to the Nursing students undergoing training in such colleges and take all necessary steps to prevent/prohibit/curb ragging of any type in their Nursing Colleges to enable students to study the vast Nursing Course and its various parameters and concepts of Nursing education in a calm and peaceful atmosphere as the Nursing education requires gruelling studies.

## 2. Objectives:-

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from Nursing institutions in the country by prohibiting it under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

## 3. What constitutes Ragging:- Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

- a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students;
- f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students.
- g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- h. any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student;
- i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student;
- j. any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background;

with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

#### 4. Definitions:-

- 1) In these regulations unless the context otherwise requires:-
  - a) “Act” means, the Indian Nursing Council Act, 1947 (No.XLVIII of 1947);
  - b) “Academic year” means the period from the commencement of admission of students in Nursing course of study in the Nursing institution up to the completion of academic requirements for that particular year.
  - c) “Anti-Ragging Helpline” means the Helpline established by the UGC under UGC Regulations on curbing the menace of ragging in Higher Educational Institutions, 2009 under UGC Act, 1956.
  - d) “Central Council” means Indian Nursing Council constituted under section 3 of the Indian Nursing Council Act, 1947.
  - e) “Head of the institution” means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or the HOI’HOD or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.
  - f) “Fresher” means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.
  - g) “Institution” means a Nursing institution established in accordance with provision of the Indian Nursing Council Act, 1947 and regulations made thereunder as amended from time to time for the purpose of imparting Nursing Education in the country.
  - h) “University” means a university within the meaning of section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) and includes such other institutions, being institutions established by or under a Central Act, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf and Nursing examination conducting authority conducting approved Nursing examination u/s 10 of Indian Nursing Council Act, 1947.
  - i) “Examining Authority” means a Nursing examination conducting authority conducting approved Nursing examination u/s 10 of the Indian Nursing Council Act, 1947.
- 2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1897, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be.

#### 5. Measures for prohibition of ragging at the institutions level:-

- a) No institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not limited to, the departments, constituent units, colleges, centers of studies and all its premises, whether academic, residential, playgrounds, or canteen, whether located within the campus or outside, and in all means of transportation of students, whether public or private accessed by students for the pursuit of studies in such institutions, shall permit or condone any reported incident of ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside,
- b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

#### 6. Measures for prevention of ragging at the institution level:-

- 6.1 An institution shall take the following steps in regard to admission or registration of students; namely,
  - a) Every public declaration of intent by any institution, in any electronic, audiovisual or print or any other media, for admission of students to any course of study shall expressly provide that

ragging is totally prohibited in the institution, and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.

- b) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full.

Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

Provided further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees and Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

- c) Where an institution is affiliated to a University/Examining Authority and publishes a brochure of admission/instruction booklet or a prospectus, the affiliating university/Examining Authority shall ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) of Regulation 6.1 of these Regulations.
- d) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the applicant, as provided in the English language in Annexure-I, Part-1 to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that he/she would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of such student.
- e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the English language in Annexure-I, Part-2 to these Regulations, to be filled up and signed by the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that his/her ward would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of his/her ward.
- f) The application for admission shall be accompanied by a document in the form of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/Migration Certificate/ Character Certificate reporting on the inter-personal/social behavioural pattern of the applicant, to be issued by the school or institution last attended by the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant, if admitted, whose behaviour has been commented in such document.
- g) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form prescribed in Annexure-I, Part-1 and Annexure-I, Part-2 to these Regulations respectively alongwith his/her application.
- h) Before the commencement of the academic session in any institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students, parents/guardians, faculty, district administration

including the police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.

- i) The institution shall, to make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the Provisions of these Regulations and also any other law for the time being in force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at places, where students normally gather at and places, known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
- j) The institution shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.
- k) The institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
- l) The institution shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging Squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the first few months of the academic session.
- m) The institution shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters, leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the objectives of these Regulations.
- n) The faculties/departments/units of the institution shall have induction arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students, in place well in advance of the beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this Regulation.
- o) Every institution shall engage or seek the assistance of professional counsellors before the commencement of the academic session, to be available when required by the institution, for the purposes of offering counselling to freshers and to other students after the commencement of the academic year.
- p) The head of the institution shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

**6.2 An institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take the following steps, namely;**

- a) Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet detailing to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the student to contact the concerned person at any time, if and when required of the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant district and police authorities.
- b) The institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall explain to the freshers, the arrangements made for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students with those already admitted to the institution in earlier years.
- c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall inform the freshers about their rights as bona fide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or against their will, even if ordered to by the senior students, and that any attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to the Warden or to the Head of the institution, as the case may be.

- d) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.
- e) The institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmes as follows, namely; (i) joint sensitization programme and counselling of both freshers and senior students by a professional counsellor, referred to in clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations; (ii) joint orientation programme of freshers and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti-ragging committee; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the freshers and seniors to interact in the presence of faculty members; (iv) in the hostel, the warden should address all students; and may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration (v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instil a feeling of confidence among the freshers.
- f) The institution shall set up appropriate committees, including the course-incharge, student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers, junior students and senior students.
- g) Freshers or any other student(s), whether being victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report such occurrence, and the identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.
- h) Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.
- i) It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of freshers, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the freshers under his/her charge.
- j) Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.
- k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.
- l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of freshers to promptly bring any instance of ragging to the notice of the Head of the Institution.
- m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic year.
- n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by any of the Councils or by the institution or by the affiliating University or by any other person or organisation authorized to do so.
- o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately

on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence.

- p) The Head of the institution shall, on the basis of the information provided by the student under clause (o) of Regulation 6.2, apportion sectors to be assigned to members of the faculty, so that such member of faculty can maintain vigil and report any incident of ragging outside the campus or en route while commuting to the institution using any means of transportation of students, whether public or private.
- q) The Head of the institution shall, at the end of academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.
- r) All heads of the Colleges of Nursing to submit duly filled proforma to your respective State Nursing Councils regarding measures and mechanisms adopted to prevent and curb the menace of ragging in your College of Nursing (Annexure-II).

**6.3 Every institution shall constitute the following bodies; namely,**

- a) Every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti-Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non-Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff, and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender.
- b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.
- c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times. Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.
- d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places.
- e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under Regulation 8.1.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.

- f) Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.

- g) Every University/Examining Authority shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated colleges and institutions under the domain of the University/Examining Authority to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti-Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions.
- h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.

**6.4 Every institution shall take the following other measures, namely:**

- a) Each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counselling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the close vicinity thereof.
- b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a mobile phone by the institution, the number of which shall be publicised among all students residing in the hostel.
- c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens; and the security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them.
- d) The professional counsellors referred to under clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel freshers and/or any other student(s) desiring counselling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counselling sessions.
- e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counselling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other measures, as it may deem fit.
- f) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti-Ragging Helpline, every institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in class-rooms, seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones.
- g) The faculty of the institution and its non-teaching staff, which includes but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards and employees of service providers providing services within the institution, shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof.
- h) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns and employees of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice.
- i) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record.

- j) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and mess, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Anti-Ragging Squad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required.
- k) All Universities/Examining Authority awarding a degree/diploma at any level, shall be required to ensure that institutions imparting instruction in such courses or conducting training programme for teachers include inputs relating to antiragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counselling approach.
- l) Discreet random surveys shall be conducted amongst the freshers every fortnight during the first three months of the academic year to verify and crosscheck whether the institution is indeed free of ragging or not and for the purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys.
- m) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the student has been punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others, during his course of study in the institution.
- n) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members of bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence or ragging or any incident of ragging which comes to their notice.
- o) The Heads of institutions affiliated to a University or a constituent of the University or Examining Authority, as the case may be, during the first three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the Vice-Chancellor of the University/ Examining Authority to which the Nursing institution is affiliated to.

7. **Action to be taken by the Head of the institution:-** On receipt of the recommendation of the Anti-Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

- i. Abetment to ragging;
- ii. Criminal conspiracy to rag;
- iii. Unlawful assembly and rioting while ragging;
- iv. Public nuisance created during ragging;
- v. Violation of decency and morals through ragging;
- vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
- vii. Wrongful restraint;
- viii. Wrongful confinement;

- ix. Use of criminal force;
- x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;
- xi. Extortion;
- xii. Criminal trespass;
- xiii. Offences against property;
- xiv. Criminal intimidation;
- xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvii. Physical or psychological humiliation;
- xviii. All other offences following from the definition of "Ragging".

Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the Vice-Chancellor of the University or Examining Authority as the case may be.

Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 8 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

## **8. Punishments:-**

### **8.1 At the institution level:**

Depending upon the nature and gravity of the offence as established by the Anti-Ragging Committee of the institution, the possible punishments for those found guilty of ragging at the institution level shall be any one or any combination of the following:

- 8.1.1 Suspension from attending classes and academic privileges
- 8.1.2 Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits
- 8.1.3 Debarring from appearing in any test/examination or other evaluation process
- 8.1.4 Withholding results
- 8.1.5 Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
- 8.1.6 Suspension/expulsion from the hostel
- 8.1.7 Cancellation of admission
- 8.1.8 Rustication from the institution for the period as decided
- 8.1.9 Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period
- 8.1.10 Fine ranging between Rupees 25,000/- and Rupees 1 lakh

8.1.11 Collective punishment: When the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

8.2 At the university/examining authority level in respect of institutions affiliated to:-

If an institution fails to comply with any of the provisions of these Regulations and fails to curb ragging effectively, the university/examining authority shall impose any one of any combination of the following penalties on it:

8.2.1 Withdrawal of affiliation and/or other privileges conferred on it

8.2.2 Prohibiting such institution from presenting any students then undergoing Nursing course therein for the award of any degree/diploma of the university/examining authority

8.2.3 Withholding grants allocated to it by the university/examining authority, if any

8.2.4 Withholding any grants channelised through the university/examining authority to the institution, if any

8.2.5 Any other appropriate penalty within the powers of the university/ examining authority

8.3 **At the Management level:-**

The authorities/Management (Trust, Societies, etc.) of the institution, particularly the Head of the institution, shall be responsible to ensure that no incident of ragging takes place in the institution. In case any incident of ragging takes place, the Management/Head shall take prompt and appropriate action against the person(s) whose dereliction of duty lead to the incident. The authority designated to appoint the Head shall, in its turn, take prompt and appropriate action against the Head.

8.4 **At the Indian Nursing Council level:-**

If any institution fails to curb ragging, the Indian Nursing Council shall impose any one or any combination of the following penalties on it:

8.4.1 To initiate the action regarding withdrawal of approval against the institution under section 13 of the Indian Nursing Council Act, 1947.

8.4.2 To reduce the admission capacity of the institution to the extent to which the Central Council deem fit.

8.4.3 To stop further admission in the institution till further orders.

8.4.4 To stop renewal of approval.

8.4.5 To post the information regarding penalties so imposed on the concerned institution on the website of INC for information of all concerned.

9. **Submission of Reports to Registrar of respective State Nursing Councils:-**

The each and every institution shall submit its reports in prescribed format (Annexure-II) to the Registrar to their respective State Nursing Council:-

9.1 by 31<sup>st</sup> October of every year in which admissions are made, indicating the action taken by institution for implementation of Regulation 6 of these Regulations failing which action referred to in Regulation 8.4 would be initiated against defaulting institution; and

- 9.2 by 30<sup>th</sup> April of every year in respect of the previous session, in the prescribed format (Annexure-II), indicating the requisite information against each column thereof, failing which action mentioned in Regulation 8.4 would be initiated against defaulting institution.

RANJEET KAUR, Secy.  
[ADVT.-III/4/Exty.280/17]

ANNEXURE-I, PART-1

UNDERTAKING BY THE CANDIDATE/STUDENT

(Duly Attested by the Oath Commissioner)

- I, \_\_\_\_\_ S/o. D/o. of Mr/Mrs./Ms. \_\_\_\_\_ have carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the directions of the Hon'ble Supreme Court and the Central/State Government in this regard.
- I have received a copy of the Indian Nursing Council Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Nursing Colleges, 2016, and have carefully gone through it.
- I hereby undertake that

I will not indulge in any behaviour or act that may come under the definition of ragging, I will not participate in or abet or propagate ragging in any form.

I will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm.

- I hereby agree that if found guilty of any aspect of ragging, I may be punished as per the provisions of the Indian Nursing Council Regulations mentioned above and/or as per the law in force.
- I hereby affirm that I have not been expelled or debarred from admission by any institution.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ month of \_\_\_\_\_ year

Name:

Address:

Signature

ANNEXURE-I, PART-2

UNDERTAKING BY THE PARENT/GUARDIAN

(Duly Attested by the Oath Commissioner)

- I, \_\_\_\_\_ F/o. M/o. G/o. of \_\_\_\_\_ have carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the directions of the Hon'ble Supreme Court and the Central/State Government in this regard as well as the Indian Nursing Council Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Nursing Colleges, 2016.
- I assure you that my son/daughter/ward will not indulge in any act of ragging.

3. I hereby agree that if he/she is found guilty of any aspect of ragging, he/she may be punished as per the provisions of the Indian Nursing Council Regulations mentioned above and/or as per the law in force.

Signed this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ month of \_\_\_\_\_ year

Name:

Address:

Signature

ANNEXURE-II

Proforma for monitoring the directions of Hon'ble Supreme Court of India on measures against Ragging in educational institutions.

S.No.	Name of the Institution and complete address telephone nos.  College Code:		
	Name of the Principal/Dean with their Direct contact nos.		
	Action		
1.	Whether Anti Ragging Squads were constituted?	Yes/No	
2.	Whether Anti Ragging Committee were constituted?	Yes/No	
3.	Whether prospectus mention possible actions against Ragging?	Give brief details (Copy of the Prospectus be enclosed)	
4.	Whether names, telephone nos. of authorities to be contacted have been publicized/made available to Freshers.	-Do-	
5.	Whether students are allowed free access to phones (Cell & Landline) in hostel(s) for timely reporting.	-Do-	
6.	Whether Seniors counselled.	-Do-	
7.	Whether Freshers counselled.	-Do-	
8.	Whether orientation courses for Freshers conducted.	-Do-	
9.	Anti Ragging Squads	9(a) Date of formation 9(b) Name of Member and their contact nos. 9(c) No. of raids 9(d) Frequency of raids 9(e) Surprise raids 9(f) Other measures taken by the squad 9(g) No. of cases detected 9(h) Action taken as follow up	
10.	Anti Ragging Committee	10(a) Date of formation 10(b) Name of Member and their contact nos. 10(c) No. of raids 10(d) Frequency of raids 10(e) Surprise raids 10(f) Other measures taken by the squad 10(g) No. of cases detected	

		10(h) Action taken as follow up	
11.	Inquiry(ies) Conducted.		
12.	Punishment meted out.	12(a) Suspension 12(b) Rustication 12(c) Expulsion	
13.	No. of F.I.R.(s) lodged by Institution with details		
14.	Whether Undertaking received from all the Students before the admission? (As per Annexure-I, Part-1)	Yes/No	
15.	Whether Undertaking received from all Parent/Guardian before the admission? (As per Annexure-I, Part-2)	Yes/No	